'हिंदी के द्वारा ही सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।'

फाइल संख्या–ई–11012/2/2011–हिंदी/
भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय
केन्द्रीय जल आयोग

713 (द.), सेवा भवन,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली – 110066
दिनांकः 09 सितम्बर, 2011

विषयः केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी पखवाड़े का आयोजन।

जैसा कि आप सभी को विदित है कि दिनांक 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस तथा सितम्बर माह को हिंदी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़ा/हिंदी माह के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार एवं प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग द्वारा आयोग (मुख्यालय) में 14–29 सितम्बर, 2011 तक हिंदी पखवाड़ा मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अनुरोध है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पखवाड़े के दौरान केंद्रीय जल आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय अपनी–अपनी सुविधानुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित प्रतियोगिताओं का आयोजन करें।

इस अवसर पर आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में बनाए गए अधिनियमों एवं नियमों और इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसरण में दैनिक सरकारी कार्यों में निम्नलिखित कार्यों को केवल हिंदी में करना सुनिश्चित करें:–

1. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) एवं राजभाषा (संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 5 में किए गए प्रावधानों का पूर्णतया पालन किया जाए।
2. हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ शत–प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया जाए।
3. फाइलों में अधिक से अधिक टिप्पणियां हिंदी में लिखें।
4. उपस्थिति पंजिका में केवल हिंदी में हस्ताक्षर करें।
5. आकस्मिक अवकाश एवं अर्जित अवकाश का आवेदन पत्र हिंदी में प्रस्तुत करें।
6. सरकारी डाक एवं पत्रों का निपटान करते समय अनुभाग प्रभारी/वरिष्ठ अधिकारी अपने आदेश एवं टिप्पण हिंदी में दें।
7. कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं/रजिस्टरों में प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से हिंदी में की जाएं।
8. सभी संगणकों (Computer) में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाए।
9. हिंदी भाषी क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिंदी में ही लिखे जाएं।
10. हिंदी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित अधिकारी/कर्मचारी अपना 50% से अधिक सरकारी कार्य हिंदी में करें।
11. संदेशवाहकों की बहियों में प्रविष्टियां हिंदी में ही की जाएं।
12. सभी सरकारी प्रकाशन द्विभाषी रूप में (हिंदी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित किए जाएं।
13. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2011–12 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक पत्राचार हिंदी में किया जाए।
14. जांच बिंदुओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

केंद्रीय जल आयोग के सभी संगठनों तथा आयोग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों/अनुभागों से अनुरोध है कि वे हिंदी पखवाड़े के दौरान एवं भविष्य में भी उपर्युक्त उल्लिखित कार्यों में केवल हिंदी का ही प्रयोग करें।

(आर.एन. मल्होत्रा)
निदेशक, स्थापना–1 एवं राजभाषा अधिकारी
दूरभाष: 011–26109695

सेवा में,

1. सभी सदस्य, केंद्रीय जल आयोग के वरिष्ठ निजी सचिव, नई दिल्ली।
2. सभी मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय), नई दिल्ली।
3. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय जल आयोग।
4. सचिव, केंद्रीय जल आयोग/निदेशक (प्रशासन)/निदेशक (स्थापना)/लेखा अधिकारी, के.ज.आ., नई दिल्ली।
5. निदेशक (समन्वय), जल आयोजन एवं परियोजना स्कंध/अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध/नदी प्रबंध स्कंध, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
6. सभी निदेशक/सभी अवर सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
7. सभी निदेशालय/अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
8. केंद्रीय जल आयोग के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।

प्रति सूचनार्थ प्रेषित:–

1. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव, नई दिल्ली।
2. मुख्य अभियंता, मानव संसाधन प्रबंध एवं अध्यक्ष, हिंदी पखवाड़ा संचालन समिति के निजी सचिव, केंद्रीय जल आयोग।
3. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), जल संसाधन मंत्रालय, श्रमशक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
4. निदेशक, सॉफ्टवेयर प्रबंध निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग। अनुरोध है कि इसे आयोग की वेबसाइट (इंट्रानेट) पर अपलोड कराने की कृपा करें।